

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोलायत
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी द्वारा व भूअनि उदा
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कलकत्ता / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खारा जोरा तहसील कोलायत जिला कोलायत
 की जमाबन्दी सम्वत् 2072-2075 में खाता संख्या 156 में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खारा जोरा	156	पुत्र गेधारा 1/3 हि कुशारा बुधारा 1/3 हि शमुरा व विन्दिमा वेवाह शमुरा 1/3 हि शिरमारा पुत्र चेतनारा 1/3 हि 1/3 हि व हि खतेदा	पुत्र गेधारा 1/3 हि कुशारा बुधारा 1/3 हि शमुरा व विन्दिमा वेवाह शमुरा 1/3 हि शिरमारा पुत्र चेतनारा 1/3 हि व हि कोरा गेधारी सा. चेतनारा तहसील कोलायत जिला कोलायत

कोलायत
 उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक :- पुनः 43/19
29/1/19
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

- 1 तहसीलदार कोलायत को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2 प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
- 3 रक्षित पत्रावली।

कोलायत
 उपखण्ड अधिकारी
 कोलायत जिला अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,